



## सप्तदश बिहार विधान सभा

### द्वितीय सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-22.02.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०  
श्री महबूब आलम, स०वि०स०  
श्री भाई चौरेंद्र, स०वि०स०  
श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०  
डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स०  
श्री अरुण सिंह, स०वि०स०  
श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०  
श्री मनोज मजिद, स०वि०स०  
श्री गोपाल रविदास, स०वि०स०  
श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०  
श्री महा नंद सिंह, स०वि०स०  
श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स०  
श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स०वि०स०

पचास के दशक में राज्य में 540 सार्वजनिक पुस्तकालय थे, शिखा परन्तु आज मात्र 51 पुस्तकालय ही बच रहे हैं, जो मृतप्राय हैं। इसी तरह वर्ष 1970 तक राज्य में 4000 से अधिक ग्रामीण पुस्तकालय थे, लेकिन अब यह संख्या 1004 तक रह गई है।

वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने किताब खरीद के लिए पुस्तकालयों को एक करोड़ रूपया दिया और इसके बाद पुस्तकालयों को कोई अनुदान नहीं मिला।

दूसरी ओर ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थिति काफी दयनीय है। इनके पास बुनियादी पठन-पाठन सामग्री, आवश्यक बुनियादी ढांचे और पेशेवर व योग्य लाइब्रेरियन की कमी है। यहां तक कि अखबार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तत्कालीन योजना आयोग के निर्देशानुसार 1000 की आबादी पर एक पुस्तकालय होना चाहिए।

केरल राज्य में (जहां साक्षरता दर 95 प्रतिशत है) शिक्षा बजट का 3 प्रतिशत पुस्तकालयों पर खर्च होता है जबकि यहां यह खर्च 0.01 प्रतिशत है।

अतः बिहार में भी शिक्षा बजट का 3 प्रतिशत पुस्तकालयों पर खर्च करने एवं वर्तमान 51 पुस्तकालयों को पुनर्जीवित करते हुए जिला और प्रखंड स्तर पर नये पुस्तकालयों को खोलने के साथ-साथ लाइब्रेरियन, सूचिकारों व पुस्तकालय परिचारियों की बहाली हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

राज कुमार सिंह  
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/2021- ५९२

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
19/2/21  
(पांडव कुमार सिंह)


उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/2021- ५९२


/ वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

  
19/2/21  
(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

  
19/2/21